

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI BHASKAR RAO NEKKANTI (Odisha): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

MR. CHAIRMAN: Now, Prof. Manoj Kumar Jha, not present. Shrimati Mamata Mohanta.

**Need to include Kurmi, Kudmi, Mahto Castes of Odisha, Jharkhand,
West Bengal and Assam in list of Scheduled Tribes**

श्रीमती ममता मोहंता (ओडिशा): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सर, मैं ओडिशा से पहली बार कुर्मी महंत सम्प्रदाय से गणतंत्र के इस मंदिर राज्य सभा में चुनकर आई हूँ। मैं ओडिशा के मान्यवर मुख्य मंत्री श्री नवीन पटनायक जी के आशीर्वाद से आई हूँ। मैं बचपन से सुन रही हूँ कि कुर्मी महंत सम्प्रदाय एस.टी. लिस्ट में थे और स्वाधीनता के बाद से एस.टी. के हिसाब से जाने जाते हैं। आज भी कुर्मी महंत सम्प्रदाय की economic condition पहले जैसी है और ज्यादा से ज्यादा लोग बिलो पॉवर्टी लाइन में रहते हैं। कुर्मी महंत सम्प्रदाय का आदिवासियों की तरह अपनी भाषा, संस्कृति, शादी, पूजा-पाठ अलग है और वे प्रॉपर्टी की पूजा करते हैं।

सर, 6 सितम्बर, 1950 से महंत सम्प्रदाय एस.टी. लिस्ट से बाहर हुए, वे क्यों हुए, यह तो पता नहीं, लेकिन इस भूल की वजह से आज भी कुर्मी महंत सम्प्रदाय की ओडिशा, झारखंड, वेस्ट बंगाल और भी राज्यों के बहुत सारे कुर्मी भाई-बहन एस.टी. के लिए लड़ रहे हैं।

सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि इस पर फिर से विचार करें और कुर्मी महंत सम्प्रदाय को एस.टी. की सूची में शामिल करें, धन्यवाद।

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I associate myself with the issue raised by the hon. Member.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI BHASKAR RAO NEKKANTI (Odisha): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI SUJEET KUMAR (Odisha): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

MR. CHAIRMAN: Thank you, Mamata ji. Now Shri Rajmani Patel, absent. Shri Nazir Ahmed Laway.

Need to regularize Daily Wagers, Casual Labourers and Homeguards working in Government Departments in Jammu and Kashmir and release of their pending salaries

श्री नज़ीर अहमद लवाय (जम्मू-कश्मीर): सभापति महोदय, मैं आपकी तवज्जो जम्मू-कश्मीर के कुछ अहम मामलों की तरफ दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में हजारों की तादाद में causal labourers, daily wagers, contractual और होम गार्ड में daily wage पर सरकारी महकमों में काम करते हैं। जो पढ़े-लिखे नौजवान हैं और 20-20 साल से सरकारी महकमों में काम करते हैं, जिनमें ज्यादातर जराअत महकमे में, वर्क्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं, मगर बदकिस्मती से वे 20 साल से भी मुस्तकिल नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से मैं आपके ज़रिए से सरकार की तवज्जो जम्मू-कश्मीर की तरफ दिलाना चाहता हूँ कि एक तो इन लोगों को सरकारी महकमों में मुस्तकिल किया जाए और इनकी तनखाह को वागुज़ार किया जाना चाहिए, क्योंकि वे कसमपुर्सी की हालत में हैं। होम गार्ड्स जो एक महीने में 9 दिन ड्यूटी देते हैं और 21 दिन बेकार पड़े रहते हैं, जबकि दूसरी रियासतों में या यूटीज़ में उनको 25,000 रुपये महीने तनखाह मिलती है, लेकिन जम्मू-कश्मीर में उनको केवल 2,700 रुपये तनखाह मिलती है।

†جناب نذیر احمد لوائے (جموں-کشمیر) : سبھا پتی مہودے، میں آپ کی توجہ جموں-کشمیر کے کچھ اہم معاملوں کی طرف دلانا چاہتا ہوں، کیوں کہ جموں-کشمیر اور لڈاخ میں ہزاروں کی تعداد میں causal labourers, daily wagers, contractual اور ہوم گارڈ میں ڈیلی-ویج پر سرکاری محکموں میں کام کرتے ہیں۔ جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں اور بیس بیس سال سے سرکاری محکموں میں کام کرتے ہیں، جن میں زیادہ تر ذراعت محکمے میں، ورکس ڈیپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں، مگر بدقسمتی سے وہ بیس سال سے بھی مستقل نہیں ہو رہے ہیں۔ جس کی وجہ سے میں آپ کے ذریعے سے سرکار کی توجہ جموں-کشمیر کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ ایک تو ان لوگوں کو سرکاری محکموں میں مستقل کیا جائے اور ان کی تنخواہ واگزار کیا جانا چاہئے، کیوں کہ یہ کسمپرسی کی حالت میں ہیں۔ ہوم گارڈس جو ایک مہینے میں نو دن ڈیوٹی دیتے ہیں اور اکیس دن بیکار پڑے رہتے ہیں، جبکہ دوسری ریاستوں میں یا یوٹیجز میں ان کو پچیس ہزار روپے مہینے تنخواہ ملتی ہے، لیکن جموں کشمیر میں ان کو صرف 2700 روپے تنخواہ ملتی ہے۔

श्री सभापति: धन्यवाद।